संचालनालय चिकित्सा शिक्षा
मध्यप्रदेश

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मे रिक्त अधीक्षण यंत्री के रिक्त पद की पूर्ति प्रतिनियुक्ति द्वारा किये जाने हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप

1. आवेदक का नाम –
2. पिता/पति का नाम –
3. जन्म दिनांक –
4. शासकीय सेवा मे प्रथम नियुक्ति का दिनांक –
5. प्रथम नियुक्ति का पदनाम एवं वेतनमान –
6. वर्तमान पद का नाम एवं वेतनमान –
7. पैतृक विभाग का नाम –
8. वर्तमान पदस्थापना का विवरण –
9. वर्तमान पद के पदीय दायित्व –
10. तकनीकी योग्यता –
11. कार्यानुभव –
12. यदि किसी विशेष क्षेत्र मे विशिष्ट योग्यता हो तो उसका विवरण –
13. पत्राचार हेतु वर्तमान पता –
14. सम्पर्क हेतु मोबाईल/दूरभाष क्र. –
15. अन्य आवश्यक जानकारी (यदि कोई हो) –

हस्ताक्षर ....

स्थान .... आवेदक का नाम ....

दिनांक ....

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा के अन्तर्गत अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु नियम एवं शर्ते

संचालनालय चिकित्सा शिक्षा मध्यप्रदेश सतपुड़ा भवन भोपाल के अन्तर्गत नवीन शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय तथा पुराने शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय में निर्माण कार्य की समीक्षा एवं निगरानी करने हेतु अधीक्षण यंत्री (सिविल) के पद पर छठवें वेतनमान 15600–39100 + ग्रेड वेतन 7600 पर प्रतिनियुक्ति पर कार्य करने हेतु इच्छुक एवं आवश्यक अर्हता पूर्ण करने वाले भारत शासन एवं राज्य शासन में विभिन्न निर्माण एजेंसियों में कार्यरत अधिकारियों से आवेदन/प्रस्ताव निम्नांकित नियम एवं शर्तो के अधीन आमंत्रित किये जाते है ।

नियम एवं शर्ते

1. संबंधित अधिकारी के पास BE/B.Tech. (Civil) की उपाधि व न्यूनतम 15 वर्ष का कार्य अनुभव होना आवश्यक है ।
2. संचालनालय में प्रतिनियुक्ति की अवधि 2 वर्ष की होगी जिसे आवश्यकतानुसार 3 वर्ष तक वृद्धि की जा सकेगी ।
3. अधिकारी को वेतन एवं अन्य भत्ते राज्य शासन द्वारा समय–समय पर जारी आदेशों एवं निर्देशों के अन्तर्गत किये जावेगें ।
4. चिकित्सालय/चिकित्सा महाविद्यालय संबंधी प्रोजेक्ट पर कार्य अनुभव रखने वाले अधिकारियों के चयन में प्राथमिकता दी जावेगी ।
5. प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत अधिकारी का कार्य संतोष जनक नहीं होने पर विभाग द्वारा 1 माह का नोटिस प्रदान करते हुये अधिकारी की सेवाऐं समय पूर्व मूल विभाग को वापस की जा सकेगी ।
6. प्रतिनियुक्ति की सेवा शर्ते के संबंध मे मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय–समय पर जारी निर्देश लागू होंगे ।
7. प्रतिनियुक्ति हेतु इच्छुक अधिकारियों द्वारा शपथ–पत्र प्रस्तुत किया जावेगा कि उनके विरूद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय जॉच/न्यायिक जॉच न तो विचाराधीन है, न ही लंबित है ।
8. संचालनालय स्तर पर गठित कमेटी प्राप्त आवेदनों की स्क्रुटनी कर 3 से 5 अधिकारियों के पेनल का चयन करेगी । चयनित अधिकारी को अपने मूल विभाग से 15 दिवस मे सहमति (N.O.C.) सर्टिफिकेट प्राप्त कर प्रस्तुत करना होगा ।